न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फागी जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री सावन कुमार चायल, आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्याः 172/14 पुनः 140/16

रज्जु दिनांकः 02/09/14 पुनः 01/02/16

निर्णय दिनांकः 08/12/2017

संशोधित प्रार्थना पत्र

1. गोगवंद पुत्र श्री डालूराम जाति रैगर, निवासीः फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. मूलचन्द पुत्र डालूराम जाति रैगर, निवासीः फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. पूरणमल पुत्र श्री डालूराम जाति रैगर, निवासीः फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।

.....प्रार्थीगण

बनाम

1. अमरा पुत्र श्री भूरा जाति रैगर निवासीः फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
2. बदामी पत्नि प्रभुलाल जाति रैगर, निवासीः फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
3. राजमती देवी पत्नि हेमराज जाति बलांई निवासीः रेनवाल मांजी, तहसील फागी, जिला जयपुर।
4. तहसीलदार/सबरजिस्ट्रार तहसील फागी, जिला जयपुर।

---अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा न्यायालय के समक्ष इस आशय का पेश किया कि प्रार्थी ने उनवानी वाद माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है जिसमे प्रार्थी को सफलता की पूर्ण आशा है। आराजी खसरा नंबर 2487 रकबा 1 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नंबर 2488 रकबा 6 बिस्वा, खसरा नंबर 3029 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 3030 रकबा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 3031 रकबा 2 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नंबर 3032 रकबा 1 बीघा 14 बिस्वा कुल किता 6 कुल रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जो प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 की हिन्दू संयुक्त परिवार की पैत्रिक सम्पत्ति है। आराजी खसरा नंबर 1677 रकबा 1 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 1678 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नंबर 1679 रकबा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 1680 रकबा 2 बीघा 5 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 6 बीघा 3 बिस्वा व खसरा नंबर 1706 रकबा 1 बीघा 13 बिस्वा वाके ग्राम फागी, तहसील फागी, जिला जयपुर में स्थित है जिसमे 1/2 हिस्सा प्रार्थीगण के पूर्वज तेजाराम का दर्ज रिकॉर्ड था आराजी भी हिन्दू संयुक्त परिवार की पैत्रिक सम्पत्ति है जिसमे प्रार्थीगण के पूर्वज तेजा के समस्त वारिसान का बराबर–बराबर हिस्सा है। वंशावली के अनुसार तेजाराम के नाम दर्ज सम्पत्ति पर तेजाराम के पुत्र डालूराम एवं भूरा दोनो का समान रूप से हिस्सा है जिस पर पहले डालूराम व भूरा काबिज था इनके स्वर्गवास के पश्चात वर्तमान में डालूराम 1/2 हिस्से पर काबिज है वर्तमान में तेजाराम की समस्त आराजी पर प्रार्थीगण काबिज है। विवादित आराजी चुनाराम की सम्पत्ति थी, चूनाराम से तेजाराम को प्राप्त हुई, इस प्रकार विवादित सम्पत्ति तेजाराम की पैत्रिक सम्पत्ति थी जिसे हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानो के अनुसार व राजस्थान टीनेन्स एक्ट के प्रावधानो के अनुसार अपने नोसनल शेयर से अधिक भूमि का विक्रय, बख्शीश करने का पूर्वज तेजाराम को कोई विधिक अधिकार नहीं था। डालूराम प्रार्थीगण के पिता सीधे साधे व्यक्ति थे, तेजा की नियत खराब हो गई इसलिये तेजाराम ने धोखे से दर्ज हिस्से का संपूर्ण का एक बख्शीशनामा अपने पौत्र अमरा के नाम से करवा दिया जो विधि विरूद्व था विधि विरूद्व होने के

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

कारण से शून्य था एवम् निष्प्रभावी था। तेजाराम का नोसनल शेयर 1/3 होता है व 1/3 डालूराम व 1/3 भूराराम का नोसनल शेयर बनता है, तेजाराम को 1/3 हिस्से से अधिक का बेचान, बख्शीश, दान करने का कोई अधिकार नहीं थी यदि तेजाराम ने 1/3 हिस्से से अधिक का बख्शीश की है तो वह विधि विरूद्व होने के कारण शून्य है चूंकि तेजाराम की भी मृत्यु हो चुकी है इसलिये तेजाराम का नोसनल शेयर 1/3 उनके पुत्रो में 1/2, 1/2 समाहित हो गये, वर्तमान में प्रार्थीगण तेजाराम के नाम की सम्पति में 1/2 हिस्से पर डालूराम काबिज काश्त था वर्तमान में तेजाराम के नाम दर्ज भूमि पर संपूर्ण पर प्रार्थीगण काबिज है। अप्रार्थी अमरा ने भी पहले प्रार्थीगण के अधिकार व कब्जा 1/2 हिस्से को डालूराम के जीवनकाल तक स्वीकार किया है। विवादित आराजी में खाता संख्या 2 अमरा के नाम से दर्ज रिकॉर्ड सन् 1983 में थी उस समय डालूराम ने जो प्रार्थीगण का पिता है ने विवादित भूमि से ट्रैक्टर के लिये ऋण स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर शाखा फागी से लिया था जिसमें प्रार्थीगण के पिता के स्वामित्व एवम् कब्जा होना स्वीकार कर अपना अनापत्ति बैंक में प्रस्तुत की थी इस प्रकार से एक लिखावट समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियो के समक्ष 1/– रूपये के स्टाम्प पर लिखकर सुनकर, समझकर अपना अंगूठा निशानी लगा दी थी एवं आराजी व अन्य सामान का बंटवारा करने की सहमति देते हुये विवादित आराजी में प्रार्थीगण के पिता का 1/2 हिस्सा व कब्जा स्वीकार किया था इस प्रकार प्रार्थीगण का कब्जा एवं स्वामित्व अप्रार्थी संख्या 1 ने स्वीकार किया था जिससे अप्रार्थी संख्या 1 एस्टोप्ड है अप्रार्थीगण ने स्वामित्व व कब्जे के संबंध में कभी विवाद नही किया प्रार्थीगण विवादित आराजी सम्पूर्ण पर काबिज है इसलिये प्रार्थना पत्र पेश करने की आवश्यकता अब तक नहीं हुई है। जमीनो के मूल्य बढ जाने के कारण अप्रार्थी संख्या 1 की नियत खराब हो गई उसने बदनियति पूर्वक विवादित आराजी का विक्रय अप्रार्थी संख्या 2 व 3 को दिनांक 17.11.2005 को विक्रय पत्र पंजीबद्व करवा दिया जिसका नामान्तकरण भी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम खुल चुका है चूंकि तेजाराम द्वारा की गई बख्शीश नोशनल शेयर से अधिक होने के कारण स्वतः ही शून्य होने के कारण अमरा अप्रार्थी संख्या 1 को किसी भी प्रकार से विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हुये ऐसे शून्य दस्तावेजो के आधार पर दर्ज खातेदारी को विक्रय करने का अप्रार्थी संख्या

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

1 को भी कोई कानूनी अधिकार नहीं है विधि विरूद्व होने के कारण तेजा द्वारा की गई बख्शीश व अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 व 3 के पक्ष में किया गया विक्रय पत्र शून्य होने से निष्प्रभावी है। तेजाराम की सम्पत्ति में दर्ज हिस्से पर आज भी प्रार्थीगण का कब्जा है। क्रेतागण का कोई कब्जा नहीं दिया गया है इसलिये बिना प्रतिफल के किया गया विक्रय पत्र भी स्वयमेव शून्य है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने भी प्रार्थीगण का हक समझाने बुझाने के बाद स्वीकार किया है इस बाबत स्टाम्प भी प्रार्थीगण के पक्ष में अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने लिखा है उस लिखावट से अप्रार्थी संख्या 2 व 3 एस्टोप्ड है। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 बार–बार प्रार्थीगण को यह आश्वासन देते रहे कि जमीन पर तुम्हारा कब्जा है तुम उपयोग कर रहे हो जब कहोगे जमीन तुम्हारे नाम वापिस लगा देगे चूंकि प्रार्थीगण का शान्तिपूर्वक कब्जा चला आ रहा है परन्तु अप्रार्थी संख्या 2 व 3 की नियत खराब हो जाने से अब दिनांक 26.08.2014 को अप्रार्थी संख्या 2 व 3 ने प्रार्थीगण के नाम जमीन लगाने से मना कर दिया वह धमकी भी दी है कि जमीन हमारे नाम है इसलिये हम इसका फायदा उठाकर शीघ्र ही तुम्हे बेदखल कर देगे व जमीन का विक्रय करेगे इस कारण प्रार्थीगण को अपने हितो की रक्षार्थ यह प्रार्थना पत्र पेश करना आवश्यक हुआ है यदि अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद नहीं किया गया तो वे अपने उपरोक्त नापक मंसूबो में कामयाब हो जायेगे जिससे प्रार्थीगण द्वारा वाद पेश किये जाने की मंशा ही फौत हो जावेगी इसलिये न्यायहित में अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे जिससे प्रार्थीगण को न्याय मिल सके। प्रथमदृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है।

उपखण्ड अधिकारी, फागी, जिला-जयपुर

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में यह अनुतोष चाहा है कि अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वादग्रस्त आराजीयात से प्रार्थीगण को बेदखल नहीं करे, न कब्जे काश्त में बाधा उत्पन्न करे, न प्रार्थीगण की आराजीयात का रहन, विक्रय, हस्तांतरण करे, न अपने नौकर, चाकर, एजेन्ट से व्यवधान उत्पन्न करावे।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

पत्रावली दिनांक 02.09.201 को रिपोर्ट होकर न्यायालय में प्रस्तुत हुई। वकील प्रार्थी को सुना गया व पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन न्यायहित में अप्रार्थीगण को जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित पाया जाकर जरिये अंतरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया गया कि विवादग्रस्त आराजी के खसरा नंबर 2487, 2488, 3029, 3030, 3031, 3032 कुल किता 6 कुल रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी व खसरा नंबर 1677, 1678, 1679, 1680 कुल किता 4 कुल रकबा 06 बीघा 03 बिस्वा वाके ग्राम फागी उत्तर तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित आराजीयात के राजस्व रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति बनाकर रखी जावे। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत हुआ, शामिल पत्रावली किया गया। अधिवक्ता श्री संजीव कुमार ने प्रार्थीगण गीता, मधु रैगर की ओर से प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी बाबत स्थगन हटाये जाने हेतु प्रस्तुत किया, शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी पर बहस सुनी गई। बाद बहस मनन प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 151 सी.पी.सी स्वीकार किया जाकर आदेशिका दिनांक 02.09.2014 में इस हद तक संशोधन किया जाकर प्रार्थीगण गीता वगैराह को मृतक के वारिसान के रूप में राजस्व रिकॉर्ड में नामान्तकरण हेतु तहसीलदार फागी के समक्ष प्रस्तुत होकर प्रार्थना पत्र निस्तारण हेतु स्थगन मुक्त किया जाकर तहसीलदार फागी को आदेशित किया गया कि नामान्तकरण संबंधी नियमानुसार कार्यवाही करे।

वकील पक्षकारान की बहस सुनी गई।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी, जवाब प्रार्थनापत्र इत्यादि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन यह पाया गया कि वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 व 3 वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है।

उपखण्ड अधिकारी, फागी जिला-जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)

प्रार्थी ने वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजीयात में खातेदारी घोषणा चाही है जिसमें अस्थाई निषेधाज्ञा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद करवाना चाहा है।

वादग्रस्त आराजीयात में प्रार्थी का हक हिस्सा है अथवा नहीं इस बिन्दु का निर्धारण वाद के अंतिम निर्णय के समय किया जावेगा। अप्रार्थी संख्या 2 व 3 वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार है, इस कारण अप्रार्थी के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा जारी किये जाने से अपूर्तनीय क्षति अप्रार्थी को कारित हो सकती है। प्रथमदृष्टया केस एवं सुविधा का संतुलन भी बमुकाबिले प्रार्थीगण अप्रार्थी प्रबल है। न्यायहित में मेरे विनम्र मत में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर अप्रार्थी को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 08/12/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
फागी (जयपुर)